



Food Safety and Standards Authority of India



Dated, the 28th December, 2015

AMENDMENT

in

Scheme for associating Central / State Government Agencies, Consumers' Organizations, Non-Governmental Organizations and other Institutions including Government Universities / Colleges working in the area of food safety for undertaking Information, Education and Communication (IEC) activities on behalf of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

.....

The point no. 2 of Sub-para-3.3 and Para-4 of the above Scheme have been amended as under, ;

3.1 Assistance to / Participation of the FSSAI in various Events / Conferences / Workshops on food related field:

- ❖ Preference shall be given to those Events / Conferences / Workshops which are organized in Delhi / NCR, Mumbai, Chennai and Kolkata and Tier A cities **along with Capital of all other States / Union Territories (UTs).**

4. Eligible Organizations:

Central / State Government Agencies, Consumers' Organizations, Non-Governmental Organizations and other Institutions including Government Universities / Colleges, having at least **three years** of experience in the food safety related field.



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

Issai

दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई. ई. सी.) क्रिया-कलाप करने के लिए खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों सहित केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों, उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने की योजना में संशोधन

.....
उपर्युक्त योजना के उप-पैरा -3.3 तथा पैरा 4 की बिन्दु सं- 2 में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया गया है:-

3.1 खाद्य संबंधी क्षेत्र में विभिन्न समारोहों/ सम्मेलनों / कार्यशालाओं में एफ. एस. एस. ए. आई. की सहायता / सहभागिता

- ❖ उन समारोहों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आयोजन दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.), मुंबई, चेन्नई और 'ए' श्रेणी के शहरों के साथ अन्य सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानी में किया जाता है।

4. पात्र संगठन :

सरकारी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों सहित ऐसी केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियां / उपभोक्ता संगठन, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संस्थान जिनके पास खाद्य संरक्षा से संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्ष के अनुभव हों।